न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकामश्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 15 / 2024 (जी.सी.एम.एस. 2024 /)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गुरप्रीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—09.07.2024

उपस्थित: 1. प्रार्थी स्वंय

—निर्णय— दिनांक : 22.07.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 37 / 100 के मुरब्बा नम्बर 32, 59 कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के उक्त रकबा मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 13, 14, 15 में पक्की डिग्गी बनी हुई है। मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक के 2—2 बिस्वा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी को सिंचाई सुविधा के लिए मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 24, 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक की 2—2 गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में से पाईप लाईन की अतिआवश्यकता है, जिससे अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं है और अन्य कोई प्रार्थी के पास विकल्प नहीं है। इसलिये न्यायहित में पाईप लाईन की मंजूरी दी जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 1 एक्स तहसील श्रीकरनपुर के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 24, 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 ता 25, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक के 2—2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता भूमि में से पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे।
2. उक्त प्रकरण के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काष्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251ए में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 547 दिनांक 28.06.2024 के साथ मूल रिपोर्ट भू—अभिलेख निरीक्षक धनूर, फर्द मौका मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू—अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हलका द्वारा चक 1 एक्स के मुरब्बा नम्बर 32, 33, 34 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया गया कि चक 1 एक्स के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 13, 14, 15 में पक्की डिग्गी बनी हुई है। उक्त रकबा गुरप्रीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह के नाम से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 21 से 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 से 25, मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक किला में 2—2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। जो मौके पर चालू है। प्रार्थी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। जिसमें प्रार्थी के द्वारा शपथपूर्वक ब्यान किया कि चक 1 एक्स बी के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 24, 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 से 25 व मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 ता 25 में सरकारी रास्ता है। जिसके अन्दर पानी की पाईप डलवानी है। पाईप रास्ते के एक ओर डाली जाएेगी। पाईप पर्याप्त गहराई पर डाली जाएेगी। रास्ते के दोनों ओर के किसानों से कोई विवाद नहीं किया जाएेगा। भविष्य में अगर रास्ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

गुरप्रीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए आर०टी०
प्रकरण संख्या 15/2024

पक्का किया जाता है तो कोई रूकावट नही डाली जाएगी। पाईप के रख रखाव व मरम्मत की जिम्मेवारी हमारी स्वय की होगी।

3. हमने प्रार्थी, की बहस सुनकर स पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चक 1 एक्स के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 13, 14, 15 में बनी डिग्गी तक पाईन लाईन की पंहुच के लिए मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 24, 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 से 25 व मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक की 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में से पाईप लाईन डालने की अनुमति चाही गई है। यह प्रार्थी की आत्यतिंक आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी सावित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर के 24, 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 से 25 व मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ–साथ 2–2 बिस्वा भूमि में चल रहे गैरमुमकिन रास्ता की उतरी बट के साथ–साथ 3 फीट गहराई में भूमिगत पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान की जाती है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त पाईप लाईन क्षेत्रफल 0.037 हैक्टेयर की प्रतिकर राशि 31543/– रुपए प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवाई जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0 01501226005 ईमेल sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2024/414 **दिनांक :- 22.07.2024**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 15/2024 अनवान गुरप्रीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 22.07.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर के 24, 25, मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 21 से 25 व मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि में चल रहे गैरमुमकिन रास्ता की उतरी बट के साथ-साथ 3 फीट गहराई में भूमिगत पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान की जाती है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त पाईप लाईन क्षेत्रफल 0.037 हैक्टेयर की प्रतिकर राशि 31543/- रुपए प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवाई जावे।

अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर श्री करणपुर श्रीगंगानगर